...लय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

...ठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
344 / प्रा.पत्र / 2017	06.12.2017	17.03.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी
–प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री पारस मल जैन पुत्र श्री कुशाल चन्द जैन, मालिक एवं विक्रेता, मैसर्स कुशाल कन्फेक्शनरी, खाईलेण्ड मार्केट, बून्दी। निवासी–अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
2. श्री अशोक कुमार कोठारी, मालिक मैसर्स कोठारी ब्रदर्स, एस0बी0बी0जे0 के सामने, बून्दी। निवासी–प्रधान जी की गली, बून्दी।

–अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से–श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से–श्री श्यामदत्त दाधीच एड0
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से–श्री संजय कुमार एड0

–: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैः–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हॅू मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 एवं क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षैत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/452 दिनांक 03.05.2017 एवं श्रीमान जिला अभिहित अधिकारी बून्दी के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2017/254 दिनांक 23.05.2017 की अनुपालना में स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये खाद्य नमूनों के प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में पेश करने से शेष रहे हैं में नियमानुसार अनुसंधान कर अग्रिम कार्यवाही/प्रकरण पेश करने हेतु आदेशित किया है।

A 9/2

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.02.2017 को समय 11:45 ए.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु खाईलेण्ड मार्केट बून्दी, स्थित फर्म कुशाल कन्फेक्शनरी पर पहुंचे। वहां पर श्री पारस मल जैन पुत्र श्री कुशाल चन्द जैन, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसका उल्लेख मौका फर्द में हैं।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–सीताराम, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम के 10 नग उपलब्ध थे। उक्त खाद्य नमकीन, ब्राण्ड–सीताराम में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, पौली पैकिंग सहित ही नमकीन, ब्राण्ड–सीताराम, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम के 4 पैकिंग नग (4x500gm) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 400/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।
5. आवेदक स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड, बोटल पैकिंग प्रत्येक 500 एम0एल0 के 48 नग में उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म न0 5ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, बोटल पैकिंग सहित ही 4 नग (प्रत्येक 500 एम0एल0) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 176/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।
6. स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड के 4 नगों को बोटल पैकिंग सहित ही चार–चार बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में 1 नग) विभाजित किया। प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–1090 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ0 सुरेश चन्द जैन द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1090 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं

मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होंने चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

A 9/3

7. आवेदक स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

8. आवेदक स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/122 दिनांक 02.03.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 51/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/51 दिनांक 22.02.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड, मिसब्राण्ड (Misbranded) पाया गया।

9. स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के तहत खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड बोटल पैकिंग प्रत्येक 500 एम0एल0, मैसर्स कुशाल कन्फेक्शनरी बून्दी द्वारा मैसर्स कोठारी ब्रदर्स बून्दी से बिल संख्या 1960 दिनांक 04.02.2017 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्राप्त की। मैसर्स कोठारी ब्रदर्स बून्दी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के मालिक श्री अशोक कुमार कोठारी, निवासी प्रधान जी की गली, सदर बाजार बून्दी हैं। अतः इस प्रकरण में श्री अशोक कुमार कोठारी मालिक, मैसर्स कोठारी ब्रदर्स, एस0बी0बी0जे0 के सामने, बून्दी को पक्षकार बनाया गया हैं। स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय द्वारा मैसर्स कोठारी ब्रदर्स को आगामी खरीद बिल पेश करने बाबत पत्र लिखा जिसके प्रत्युत्तर में मैसर्स कोठारी ब्रदर्स, बून्दी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स गंगा एग्रोटेक जोधपुर से बिल संख्या 6102 दिनांक 29.12.2016 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स कोठारी ब्रदर्स, बून्दी द्वारा प्रस्तुत बिल का अवलोकन करने पर उक्त बिल दिसम्बर–16 का है जबकि उक्त खाद्य पदार्थ की विनिर्माण एवं पैकिंग अवधि जनवरी–17 हैं। अतः जनवरी–17 की अवधि के खरीद बिल बाबत पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म द्वारा कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ जिससे इस प्रकरण में श्री अशोक कुमार कोठारी मालिक, मैसर्स कोठारी ब्रदर्स, एस0बी0बी0जे0 के सामने, बून्दी को ही अन्तिम पक्षकार बनाया गया हैं।

10. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये

[illegible]म कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/496 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तारीख पेशी 07.04.2021 नियत थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से दिनांक 17.03.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार करते हुये लोक अदालत की भावना से निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। अतः प्रकरण निस्तारण आज दिनांक 17.03.2021 को किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दोहराने बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण छोटे व्यापारी है। जिस खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई हैं। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। अप्रार्थीगण छोटे व्यापारी होने से सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय करने की कृपा करे। अप्रार्थीगण जुर्म स्वीकार करते हैं।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल, ब्राण्ड–अम्बुजा गोल्ड का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से दोषी है। अतः अप्रार्थीगण का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 10,000/– (अक्षरे–दस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी संख्या 2 को 10,000/– (अक्षरे–दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)